Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में डिस्कॉम का तकनीकी सहायक 4 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *22 अगस्त, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा देहात इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए सुरेश सुमन तकनीकी सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वृत–दीगोद, जिला कोटा को परिवादी से **4 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके कृषि कनेक्शन के मीटर में गड़बड़ी कर बिल जीरो करने की एवज में सुरेश सुमन तकनीकी सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वृत–दीगोद, जिला कोटा द्वारा **8 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, कोटा के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याण मल मीणा** के सुपरविजन में एसीबी कोटा देहात इकाई की **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रेरणा शेखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री विजय सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए सुरेश सुमन पुत्र श्री नेमीचंद माली निवासी रामदेव मंदिर के पास, काला तालाब, थाना रेल्वे कॉलोनी, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा हाल तकनीकी सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वृत–दीगोद, जिला कोटा को परिवादी से **4 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याण मल मीणा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।